न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2019

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

अपीलार्थी–	बनाम	उत्तरदाता–
1. चुन्नीलाल पुत्र किस्तुरजी 2. जोगसिंह पुत्र किस्तुरजी 3. रूपसिंह पुत्र किस्तुरजी जाति पुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		तहसीलदार समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2019 जो प्रकरण सं. 01/2019 मे तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण सं. 01/2019 सरकार बनाम चुन्नीलाल व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सिलोर द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिलोर के खसरा नम्बर 365 रकबा 14–04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि मे से 00–15 बीघा भूमि पर गैर सायल चुन्नीलाल व अन्य द्वारा बाड़ा मय पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल बावजूद नोटिस तामील दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से तहसीलदार समदड़ी द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.02.2019 के द्वारा 1000/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 06.03.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी बताते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया हैं वह अपीलांट का कोई नया कब्जा नही किया हुआ हैं बल्कि उक्त भूमि पर पीढियों से लगातार काबिज है तथा अपीलांट के पक्के रहवासी मकानात बने हुए हैं। इसी खसरे की भूमि पर गांव के कई अन्य व्यक्तियों के पक्के व कच्चे मकान आदि बने हुए हैं जिनमें सभी का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपने–अपने परिवार सहित रहवास हैं। इससे पूर्व में अपीलांट्स को धारा 91 के नोटिस दिनांक 02.12.2005, 19.01.2006 दिये गये हैं उसमें खसरा नम्बर 372 गै0मु0 नाडी पर अतिक्रमण होना मानकर दिये हैं और अब अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 365 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर होना मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया हैं। इस प्रकार यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट्स का कब्जा आबादी में है अथवा सरकारी गैर मुमकीन नाडी या रास्ता की भूमि पर हैं। इसके अभाव में अपीलाधीन कार्यवाही आनन–फानन में की गई है जिसे अपास्त किया जाना न्याय संगत हैं।

6. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में उसे ग्राम बामसीन के खसरा नम्बर 365 कृषि भूमि / सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा मय पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया हैं जबकि अपीलाधीन आदेश में ग्राम सिलोर के खसरा नम्बर 365 में अतिक्रमण मानते हुए बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन कार्यवाही में जारी नोटिस केवल एक पक्षकार को तामील हुआ था अवशेष गैर सायलान के नोटिस तामीन नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय तौर पर जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है।

7. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी [illegible] से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सिलोर के खसरा नम्बर [illegible] रकबा 14–04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि मे से 0[illegible]5 बीघा भूमि पर बाड़ा मय पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ तथा न ही इस अपील मे भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

8. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम सिलोर में अपना पीढियों का रहवास एवं कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया कि उनके अलावा गांव के कई अन्य व्यक्तियों के भी आस–पास में कच्चे–पक्के मकान बने हुए है जिनमे वे रहवास करते आ रहे हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया हैं कि अपीलांट के इसी रहवासीय मकान के लिये पूर्व में इसे गैर मुमकीन नाडी की भूमि मानते हुए अतिक्रमण के नोटिस जारी किये गये थे। इस प्रकार मौके की वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि अपीलांट्स का रहवासीय मकान आबादी की भूमि में है अथवा सरकारी भूमि में हैं। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पन्न कार्यवाही का प्रश्न हैं तो अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जो नोटिस जारी किया गया हैं उसमें ग्राम बामसीन अंकित किया हैं, तथा प्रकरण सं. 01 / 2019 पर दर्ज किया गया हैं जबकि निर्णय की तारीख 18.02.2018 अंकित की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये विवादित सरकारी भूमि पर अपीलांट के आधिपत्य बाबत भौतिक स्थिति पर भी कोई विवेचन नही किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

10. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested